क्र स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	7/2/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन [illegible] अन्य राज [illegible] व्यस्त हैं। अतः पत्रावली [illegible] दिनांक 14/2/25 को पेश हो।
	14/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का आवेदन [illegible] स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर सुनाया। पत्रावली [illegible] बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Reader 31.3.21 100

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, द्वितीय

जयपुर जिला जयपुर

ापत्र संख्या................./2022

नाथू जांगिड पुत्र स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र–55 वर्ष, जाति खाती, निवासी–ग्राम श्रीराम की नागल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1 श्रीमति धापूदेवी पत्नि स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र–85 वर्ष, जाति खाती, निवासी–ग्राम श्रीराम की नागल तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

2. श्रीमति मन्ना देवी पत्नि श्री भगवानसहाय जांगिड पुत्री स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र–62 वर्ष, जाति खाती, निवासी–पुराना रामगढ मोड, कर्बला दिल्ली रोड, जयपुर।

3 श्रीमति विमला देवी पत्नि श्री नाथू जांगिड पुत्री स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र–49 वर्ष, जाति खाती, निवासी–पुलिस चौकी के पीछे, ग्राम टील्यावास, तहसील सागानेर जिला जयपुर।

4 हरिओम मीणा पुत्र श्री नन्दलाल मीणा, उम्र–40 वर्ष, जाति मीणा, निवासी–हरिओम होटल, 12 मील, टोंक रोड, जयपुर।

5. हंसराज जाट पुत्र श्री नाथूराम जाट, उम्र–60 वर्ष, जाति जाट, निवासी–ग्राम रामचन्द्रपुरा, तहसील सागानेर जिला जयपुर।

6 सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

......अप्रार्थीगण

नाथू मल जांगिड

यालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

। का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
'2022
4.02.2025

उनवान

5 पुत्र स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र–55 जाति खाती, निवासी– ग्राम श्रीराम की नांगल गानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

ापूदेवी पत्नि स्व. श्री श्रवण जागिड, उम्र–85 वर्ष, जाति खाती, निवासी–ग्राम श्रीराम की हसील सांगानेर जिला जयपुर।

ान्ना देवी पत्नि श्री भगवानसहाय जागिड पुत्री स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र 62 वर्ष, जाति नेवासी–पुराना रामगढ मोड, कर्बला दिल्ली रोड, जयपुर।

विमला देवी पत्नि श्री नाथू जांगिड पुत्री स्व. श्री श्रवण जांगिड, उम्र–49 वर्ष, जाति खाती, –पुलिस चौकी के पीछे, ग्राम टील्यावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

मीणा पुत्र श्री नन्दलाल मीणा, उम्र 40 वर्ष, जाति मीणा, निवासी हरिओम होटल 12 मील, ड, जयपुर।

। जाट पुत्र श्री नाथूराम जाट, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील र जिला जयपुर।

जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ा पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या लगायत 5 की ब्रातेदारी की अविभाजित कृषि खाता सख्या 23 पुराना खाता संख्या 24 खसरा नंबर 26 रकबा 0. क्टेयर किस्म जाव द्वितीय लगानी 1.16 रूपये ग्राम मिश्र का बाढ उर्फ मुरलीपुरा पटवार हल्का ो नागल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है जिसमे वं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का हक हिस्सा इंच टू इंच निहित है जिसे वादपत्र में वादग्रस्त संबोधित किया गया है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात् में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत ह का हिस्सा बराबर–बराबर 259/8800–259/8800–259/8800 है एवं अप्रार्थी सख्या 4 का 1867/2200 व अप्रार्थी संख्या 537/1100 हिस्सा राजस्व रिकार्ड (जमाबदी) में निहित है। प्रार्थी ाथर्थी संख्या 1 लगायत 5 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपने अपने हिस्से अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि वट से विभाजन कर कदीम से काबिजकाश्त चले आ रहे है। प्रार्थी ने कई मर्तबा अप्रार्थीगण से दग्रस्त आराजीयात् के विधिवत विभाजन हेतु तलव तकाजा किया किन्तु अप्रार्थी संख्या 4 व 5 धिवत विभाजन कराये प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में जबरन पुख्ता तामीरात कराने को आमादा ह वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है बिना विभाजन कराये अप्रार्थीगण किसी भू–भाग पर पुख्ता निर्माण कराने के अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी सख्या 4 व 5 ने दिनाक 03–2022 राय होकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात् पर आये तथा प्रार्थी को धमकी दी कि तुम हमें कब्जा भूमि

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ौंप दो अब हम जल्द ही अपनी मनमर्जी से पुख्ता निर्माण कार्य करेंगें तथा अदालत व पुलिस भी हमारा ुछ नहीं बिगाड सकती जिससे प्रार्थी को पूर्ण अंदेशा हो गया कि मिन अप्रार्थीगण के मन में बदनीयति त्पन्न हो गयी है तथा वे बिना विधिवत विभाजन कराये ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करने पर आमादा । रहे है जिससे वादकारण उत्पन्न होकर लगातार उत्पन्न होने दावा विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा मय ।आई. प्रार्थनापत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश करना लाजिमी हुआ। प्रार्थी उक्त अविभाजित वादग्रस्त भूमि में ह–खातेदार काश्तकार है तथा कानूनन अपने हक हिस्से की भूमि को संरक्षित करने एवं उपयोग व पभोग करने का अधिकारी है। दिनांक 2–03–2022 को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि विशिष्ठ भू–भाग पर अवैध पुख्ता निर्माण करने धमकी दी जिससे प्रार्थी अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी षेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की मे है जिसमें प्रार्थी कदीम से काबिजकाश्त चला आ रहा है जिससे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सुदृढ है। यदि अप्रार्थी सख्या 4 व 5 अपने धनबल भुजबल पर मिन प्रार्थी के हक हिस्से की कृषि भूमि पर बिना विधिवत विभाजन कराये अवैध अतिक्रमण र नाजायज कब्जा कर प्रार्थी को जबरन बेदखल करने में सफल हो गये तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णनीय ते होगी कि जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र ाकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया जायें उक्त वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 23 पुराना खाता संख्या 24 खसरा नंबर 26 रकबा 0.0800 हैक्टेयर स्म जाव द्वितीय लगानी 1.16 रूपये ग्राम मिश्र का बाढ उर्फ मुरलीपुरा पटवार हल्का श्रीरामकी नागल अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में के प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में ार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजामजाहमत, जबरन बेदखल न स्वंय करे अन्य किसी से करावें तथा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर एवं प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि अवैध पुख्ता निर्माण न करे न करावे, खुर्द–बुर्द न करे ना करावें तथा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भाग का बेचान, रहन, बय, बक्शीश, हस्तान्तरण न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावें मौके एवं ार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील ी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 18. 024 को अप्रार्थी संख्या 1 व 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या पस्थित। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 ने कथन किया कि सम्पत्ति दिनांक 16.08.2000 ईस्वी मे लल्लू लाल, बाबूलाल, श्योजीलाल पुत्रान प्रताप व पांची बेवा प का हिस्सा 1/2 था तथा श्रवण पुत्र महादेव का हिस्सा 1/2 था जिन्होने अप्रार्थी संख्या 5 की । केसर देवी को अपने हक में आये हुए हिस्से को 2,50,000/– रूपये की एवज मे वाणिज्यक जनार्थ 20X20 कुल एरिया 37.17 वर्गमीटर बेचान कर दिया था और उक्त नजरिये नक्शे के हिसाब अप्रार्थी संख्या 5 की दो दुकाने जिसकी चतुर्थ सीमाए पूर्व में विकेतागण की कृषि भूमि चरपेटवा से ग्रम में मध्यम से 80 फिट रोड वाउण्डीवाल से, उत्तर मे विकेतागण की शेष जमीन चरपेटवा से व ण की ओर 10 फिट का चौडा रास्ता तत्पश्चात अन्य की दुकानात स्थित है। मिन अप्रार्थी संख्या 5 ारा तत्समय ही भूमि को कय कर दुकानो का पुख्ता निर्माण करवा लिया था और तत्समय से ही दुकानो को व्यवसायिक रूप मे उपयोग किया जा रहा है उक्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 16.08.

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

। मे प्रार्थी नाथूलाल गवाह के रूप मे विक्रय पत्र में मौजूद है। इसकी जानकारी प्रार्थी को तत्समय
। है तथा अप्रार्थी संख्या 5 की माताजी केसर देवी का देहान्त दिनांक 19.11.2006 को हो गया था।
चात से जवाबदाता ही अपनी दुकानो पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में ले रहा है। इसलिये
तथ्य को छिपाते हुए प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र केवल मात्र अप्रार्थी संख्या 5 को हैरान व परेशन
की नियत से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा इस प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया गया है
वाबदाता का कब्जा मेन रोड पर दो दुकानो के रूप मे है। अप्रार्थी संख्या 5 अध्यापक के पद से
र्ड है। जिसके सम्बन्ध मे प्रार्थी ने गलत तथ्य अंकित किये है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 से
न के सम्बन्ध में कभी कोई बातचीत नही की तथा अप्रार्थी संख्या 5 का कब्जा विशिष्ट भू भाग पर
पत्र पंजीयन कराते समय से ही दो पुख्ता दुकानो पर है तथा उक्त दुकाने प्रार्थी द्वारा खडे रहकर
के सामने ही निर्माण करवायी है। अप्रार्थी सख्या 5 प्रारम्भ से ही अपनी दो दुकानो पर काबिज है
त्समय से ही काबिज चला आ रहा है और आज भी काबिज है। जिसकी जानकारी प्रार्थी को
पत्र मे गवाह होने से प्रारम्भ में ही रही है। फिर भी झूठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र
किया है प्रार्थी के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व टीआई प्रार्थना पत्र मे जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया
उसमे अपने आपको जगदीश पुत्र मंगलाराम उम्र 62 वर्ष जाति–बागडा ब्राहम्ण निवासी–ग्राम
। तहसील सांगानेर, जिला जयपुर का होना बताया है और शपथग्रहिता व सत्यापनकर्ता मे स्वंय
स्ताक्षर किये गये है। ऐसी स्थिति मे यहां पर न्यायालय मे यह समझना निश्चित नही हो पा रहा
ार्थी नाथूलाल है या जगदीश पुत्र मंगलाराम है। शपथ पत्र गलत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किये
तथा शपथ पत्र प्रार्थना पत्र का मुख्य भाग होने से न्यायालय मे पढा नही जा सकता है जिसके
यह प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नही होने से प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किया जाने योग्य
जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्जे के खारिज किया
आदेश प्रदान करे।

वहस प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 5 सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने वहस
त्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार
कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला दावा पावन्द फरमाया जायें कि उक्त
भूमि खाता संख्या 23 पुराना खाता संख्या 24 खसरा नंबर 26 रकबा 0.0800 हैक्टेयर किस्म
ोय लगानी 1.16 रूपये ग्राम मिश्र का बाढ उर्फ मुरलीपुरा पटवार हल्का श्रीरामकी नागल
ख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में के प्रार्थी के उपयोग–उपभोग में
संख्या 1 लगायत 5 किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजामजाहमत, जबरन बेदखल न स्वंय करे
केसी से करावें तथा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर एवं प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि
पुख्ता निर्माण न करे न करावे, खुर्द–वुर्द न करे ना करावें तथा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ
ा बेचान, रहन, वय, वक्शीश, हस्तान्तरण न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावें मौके एवं
ार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एवं अप्रार्थी संख्या 5 ने अपने कथन में कहा कि प्रार्थी के
प्रार्थना पत्र व टीआई प्रार्थना पत्र मे जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमे अपने आपको
त्र मंगलाराम उम्र 62 वर्ष जाति–बागडा ब्राहम्ण निवासी–ग्राम खेतापुरा तहसील सांगानेर, जिला
होना बताया है और शपथग्रहिता व सत्यापनकर्ता मे स्वंय द्वारा हस्ताक्षर किये गये है। ऐसी
हां पर न्यायालय मे यह समझना निश्चित नही हो पा रहा है कि प्रार्थी नाथूलाल है या

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ीश पुत्र मंगलाराम है। शपथ पत्र गलत व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किये जाने से तथा शपथ पत्र प्रार्थना का मुख्य भाग होने से न्यायालय मे पढा नही जा सकता है जिसके अभाव में यह प्रार्थना पत्र भी योग्य नही होने से प्रारम्भिक स्टेज पर ही खारिज किया जाने योग्य है।अतः जवाब दावा प्रस्तुत निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्जे के खारिज किया जाने के आदेश प्रदान करे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त लोकन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया मामला वादग्रस्त भूमि र्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 त 5 की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 त 17 की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक नही हुआ है और वादग्रस्त भूमि पर मनवट से विभाजन कर कदीम से काबिज काश्त चले आ रहे अप्रार्थी संख्या 4 व 5 बिना विभाजन कराये प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि में जबरन पुख्ता तामीरात को आमादा है बिना विधिवत विभाजन करवाये किसी भी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार द्वारा विशिष्ट ग पर निर्माण कार्य कर लिया गया या विशिष्ट भू–भाग का विक्रय कर दिया गया तो वादों की ा बढेगी एवं प्रार्थी को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति भी प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान ारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान ारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर दिनांक 31.03.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ना मूल वाद अप्रार्थीगण को पावन्द किया जाता है कि वाके ग्राम मिश्र का बाढ उर्फ मुरलीपुरा हल्का श्रीरामकी नागल भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में ार्थी एवं अप्रार्थी संख्या लगायत 5 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि खाता सख्या खसरा नंबर 26 रकबा 0.0800 हैक्टेयर में किसी प्रकार की दखलन्दाजी बेजामजाहमत, जबरन न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावें तथा वादग्रस्त भूमि के विशिष्ठ भू–भाग पर एवं प्रार्थी के से की भूमि पर अवैध पुख्ता निर्माण न करे न करावे, खुर्द–बुर्द न करे ना करावें तथा वादग्रस्त विशिष्ठ भू–भाग का बेचान, रहन, बय, बक्शीश, हस्तान्तरण न स्वंय करे ना अन्य किसी से करावें ि राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर